


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2008/डी- 1126


दिनांक: 01/9/08

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 71 वीं बैठक दिनांक 26-27.08.2008 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र० सं०	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	71.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 70 वीं बैठक दिनांक 21.07.2008 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 70 वीं बैठक दिनांक 24.07.2008 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	71.2	भूखण्ड संख्या जे-13, झालाणा सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के प्रस्तावित सांस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से 1.0 एफएआर, कवर्ड टैरेस को हटाते हुये एवं 30 मीटर ऊँचाई के संशोधित मानचित्र लिये जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	
3.	71.3	रामबाग पैलेस परिसर भवानी सिंह मार्ग जयपुर के प्रस्तावित होटल के विस्तार के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ होटल के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित जे ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक को पूर्व में निर्मित एच-1 व एच-2 ब्लॉक के सीमा तक ही प्रस्तावित किया जावे एवं जे-ब्लॉक का पॉर्च एच-1 एच-2 की सीमा से बाहर प्रस्तावित करवाया जाकर संशोधित मानचित्र लिये जावें। 2. टोंक रोड पर बने पुराने निर्मित भवन हेतु आर्किटेक्ट अमित गहलोत द्वारा समिति को कोवनेन्ट के साथ संलग्न 1949 का नक्शा बताया जिसमें यह भवन निर्मित दर्शाया गया है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि टोंक रोड पर सामने के सैटबैक	

			<p>में व उत्तरी ओर साईड सेटबैक में निर्मित भवनों को पूर्व में निर्मित होने के कारण अनुमोदित माना जावे।</p> <p>3. आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत 1949 के मानचित्र में जो भवन निर्मित दर्शाये गये है उनके बिना अनुमति निर्माण शुल्क नहीं लिया जावे। अन्य निर्मित भवनों का बिना अनुमति निर्माण शुल्क देय होगा।</p> <p>4. ब्लॉक जे- में प्रस्तावित दो सर्विस फ्लोर अनुज्ञेय किये जावे, क्योंकि वे अनुज्ञेय ऊचाई सीमा में है।</p> <p>5. जोन द्वारा भूखण्ड का खसरा सीमांकन किया जावे व नियमानुसार कर्नवजन चार्ज हेतु जाँच की जावे।</p> <p>6. मौके पर पश्चिमी ओर स्थित निर्मित टेम्परेरी टीनशेड निर्माणों को हटाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>7. बेसमेन्ट पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में नियमानुसार समर्पित किया जाना होगा।</p> <p>8. प्रस्तावित एवं निर्मित भवनों का कुल आच्छादन 91083.64 वर्ग मीटर है अतः पर्यावरण व प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना है।</p> <p>उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति के पश्चात् पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र अनुमोदित किये जावे।</p>	
4.	71.4	भूखण्ड संख्या 4 ए, संस्थानिक क्षेत्र, विद्याश्रम स्कूल के सामने जयपुर के संस्थानिक भवन के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदन बाबत्	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ सांस्थानिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे।</p>	
5.	71.5	दिगम्बर जैन नसियां भट्टारकजी, नारायण सिंह सर्किल, टोक रोड, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि राज्य सरकार द्वारा</p>	

		अनुमोदन बाबत्।	क्रमांक प 10(52)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 25.08.2008 को आदेश जारी किये जा चुके हैं कि केवल निर्मित भवन के अनुसार भवन अनुज्ञा शुल्क देय होगा। अतः राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाकर मानचित्र अनुमोदित किये जावे।
6.	71.6	भूखण्ड संख्या- J-3, झालाणा इन्सटीट्यूसनल एरिया, जयपुर के सांस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा सांस्थानिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	71.7	भूखण्ड संख्या ए-2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग की अनुज्ञा बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 2. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।
8.	71.8	होटल जय महल पैलेस के प्रस्तावित भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व की बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 19.05.2008 के निर्णय के अनुसार स्वामित्व सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
9.	71.9	भूखण्ड संख्या 6, सुभाष नगर जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ होटल के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित


			<p>करवाया जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र लिया जावे। भवन में भूकम्प रोधी प्रावधान सुनिश्चित किये जाने हेतु आवेदक व वास्तुविद की अन्डरटेकिंग ली जावे। 	
10.	71.10	पुनर्गठित भूखण्ड पुराना गहलोत नर्सिंग होम व एन-1 में व्यावसायिक भवन के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ व्यावसायिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> भवन में पर्याप्त निर्मित क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होने के कारण बीपीसी द्वारा केवल एक लोअर सैटबैक ही निर्धारित किया जा सकता है अतः 30 मीटर चौड़ी सड़क की ओर का सैटबैक 6.0 मीटर अनुज्ञेय किया जावे। स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। <p>बी.आर.टी.एस.के प्रस्ताव के संदर्भ में राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर ही मानचित्र अनुमोदित किये जावे।</p>	
11.	71.11	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या एम.पी. -1, के पास के भूखण्ड एवं भूखण्ड संख्या एम-1, ग्रेटर कैलाश के एफएआर निर्धारण के संबंध में।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। श्री एन. के गुप्ता को भी सुना गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व की बीपीसी (बीपी) बैठक दिनांक 21.07.2008 के निर्णय को यथावत रखा जावे।</p>	
12.	71.12	भूखण्ड संख्या 32 (खसरा नम्बर 137) महापुरा कूकरखेडा सीकर	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात्</p>	

		रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ व्यावसायिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट में प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्र को वातानुकूलित किया जावे। 2. 60'-00" चौड़ी सड़क को पूर्ण चौड़ाई में राईट ऑफ वे जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे।
13.	71.13	मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर ए भूखण्ड संख्या ए-19 व ए-31 का वाणिज्यिक पुनर्गठन हेतु।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रार्थी को सुना गया एवं विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा पुनर्गठन हेतु दिसम्बर 2006 एवं व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण हेतु मार्च 2007 में आवेदन कर दिया था। अतः पुराने नियमों अनुसार 30 मीटर ऊँचाई देय है। अतः अन्य पैरामीटर्स बीपीसी की बैठक दिनांक 19.05.2008 के अनुसार रखते हुए 30 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे।
14.	71.14	खसरा नम्बर 2687, 2688 व 2689, ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. पूर्व में बैडमिन्टन कोर्ट, स्कवाश कोर्ट आदि की अनुमति बेसमेन्ट व स्टिल्ट फ्लोर पर डबल हाईट में अनुमत की गई थी उसी के अनुरूप इस प्रकरण में भी अनुज्ञेय की जावे। 2. भवन विनियम 8.11 के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये स्टिल्ट फ्लोर व बेसमेन्ट की ऊँचाई 4.0 मी. की छूट के आधार पर स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई हेतु प्रस्तावित 3.0 मी. छूट को अनुज्ञेय किया जावे। 3. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 4. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।

			<p>5. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जाना प्रस्तावित है कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>6. पर्यावरण व प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</p> <p>7. संशोधित विनियमानुसार अमानत राशि जमा करवानी होगी।</p>
15.	71.15	<p>खसरा नं. 502, 502/1, 503, 503/1, 504, 505/1, 516/1, 517, 518, 518/1, 519, 520, 521/2, 522/2 ग्राम किशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से संशोधित भवन विनियमों के अनुसार 2.0 एफएआर व नियमानुसार मानचित्र लिये जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।</p>
16.	71.16	<p>एस-44, सेन्ट्रल स्पाईन, जगतपुरा में रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ रिटेल आउटलेट के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामान्यतः पेट्रोल पम्प में सैटबैक्स व अन्य पैरामीटर्स का निर्धारण (एफएआर आदि) का अंकन नहीं किया जाता है जबकि जोन द्वारा जारी स्थल मानचित्र में सैटबैक्स का अंकन किया गया है। पेट्रोल पम्प में फिलिंग पम्पस आगे के भाग में कैनापी सहित प्रस्तावित किया जाता है एवं आफिस/ कियोस्क स्पेस पीछे के भाग में प्रस्तावित किये जाते है अतः इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जावे। 2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. सडक सीमा से फ्यूल पम्प की दूरी 1.0 मीटर कम है जिसे संशोधित करवाया जावे।

17.	71.17	भूखण्ड संख्या जीएच-1, लोटस विला, जगतपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जाना प्रस्तावित है कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।
18.	71.18	खसरा नम्बर 2904, 2933, 2926, ग्राम बगरू कला, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित एम. डी.पी.एल. जयपुर टर्मिनल कम बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि राज्य सरकार द्वारा क्रमांक प 10 (52)नवि/3/99 पार्ट दिनांक 25.08.2008 को आदेश जारी किये जा चुके हैं कि केवल निर्मित भवन के अनुसार भवन अनुज्ञा शुल्क देय होगा। अतः राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जावे।
19	71.19	होटल राजमहल पैलेस, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर के निर्मित व प्रस्तावित भाग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि जोन द्वारा स्वामित्व की जाँच एवं ले आउट प्लान/साईट प्लान पर खसरो को सुपर इम्पोज किया जावे जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। तत्पश्चात पुनः बीपीसी (बीपी) की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
20	71.20	भूखण्ड संख्या जे-2, झालाणा सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर के प्रस्तावित प्रेस भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
21	71.21	खसरा नं. 112, ग्राम दुर्गापुरा, जयपुर के प्रस्तावित होटल के	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को स्थगित


		भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	किये जाने का निर्णय लिया गया।
22	71.22	भूखण्ड संख्या 3, एयर पोर्ट प्लाजा में एफएआर 1.75 के स्थान पर 2.0 एवं टैरेस फ्लोर पर स्विमिंग पूल अनुज्ञेय किये जाने बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:- 1. प्रश्नगत भूखण्ड में नीलामी की शर्तों के अनुसार एफ.ए.आर. 1.75 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा एफ.ए.आर. होटल नीति एवं समीपवर्ती भूखण्ड संख्या 5 व 6 के अनुसार एफ.ए.आर. 2.0 दिये जाने की माँग की गई है अतः राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जावे। 2. टैरेस फ्लोर पर प्रस्तावित स्विमिंग पूल को अनुज्ञेय किया जावे।
23	71.23	भूखण्ड संख्या 15, योजना एयरपोर्ट प्लाजा, टॉक रोड, जयपुर के व्यावसायिक भवन के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ व्यावसायिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. बेसमेंट में प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्र को वातानुकूलित किया जाना होगा।
24	71.24	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 168 व 169 श्री गोपाल नगर पार्ट "बी" अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर के आवासीय भवन के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूखण्ड पर दो आवासीय ईकाई ही अनुज्ञेय की जा सकती है अतः आवेदक चाहे तो संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
25	71.25	खसरा नम्बर 42, ग्राम सुदर्शनपुरा, गीजगढ हाउस, हवा सडक, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ होटल के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रार्थी द्वारा भवन में कोई भी रेगुलर स्टेयर केस प्रस्तावित नहीं की गई है अतः भवन में कम से कम एक

			<p>स्टेयरकेस प्रस्तावित की जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> लोअर बेसमेंट नियमानुसार 12 मीटर सेटबैक छोड़ते हुए रखा जावे। फर्स्ट फ्लोर पर स्विमिंग पूल को अनुज्ञेय किया जावे। प्रस्तावित मानचित्रों में केवल दो बेसमेंट ही अनुज्ञेय किये जावे जिसमें अपर बेसमेंट में व्यावसायिक अनुज्ञेय किये जावे। प्रस्तावित लोअर ग्राउण्ड को भूतल लेवल (0'-00") पर रखा जाकर भूतल दर्शाया जावे। स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जाना प्रस्तावित है कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। पर्यावरण व प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। संशोधित विनियमानुसार अमानत राशि जमा करवानी होगी। <p>संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर पत्रावली पर आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे।</p>	
26	71.26	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 19 व 20 श्री गोपालनगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्लेटस के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ आवासीय प्लेटस के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> बेसमेंट/स्टिल्ट में प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 	
27	71.27	डीएबी सेन्टिनेरी पब्लिक स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर के	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा संशोधित भवन मानचित्र</p>	

		प्रिंसिपल आवास के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गये।
28	71.28	भूखण्ड संख्या सी-1, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक कॉम्प्लैक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तों के साथ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भवन की ऊँचाई के संदर्भ में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जाना होगा कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया।			
29	71.29	भूखण्ड संख्या 4, इन्द्रा प्लेस, मालवीय नगर, जयपुर के भवन मानचित्र के अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पूर्व में मल्टीप्लैक्स के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जा चुका है अतः वर्तमान में प्रस्तावित मल्टीप्लैक्स के प्रस्ताव को लम्बित रखे जाने का निर्णय लिया गया। 2. भवन में पूर्व में प्रस्तावित फायर स्टेयर केस की छूट देते हुये मानचित्र अनुमोदित किये जा चुके हैं उन फायर स्टेयर केस को वर्तमान प्रस्ताव में भी छूट अनुज्ञेय की जावे। 3. प्रस्तावित मानचित्रों में दर्शित कट आउट को ऊपरी तलों पर कवर किया गया है उन्हें नियमानुसार एक तल पर क्षेत्रफल में सम्मिलित किये जाकर

			<p>एफ.ए.आर. की गणना की जावे।</p> <p>4. भूखण्ड सीमा से बाहर प्रस्तावित फायर स्टेयर को भवन सीमा से लगते हुये संशोधित किया जावे एवं जविप्रा भूमि पर प्रस्तावित स्टेयर केस के क्षेत्रफल वाले भू-भाग को नियमानुसार राशि लिये जाकर आवंटन की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।</p> <p>5. राज्य सरकार से भूखण्ड संख्या: 3 इन्द्रा प्लेस के प्रकरण में प्राप्त निर्णय के मध्य नजर इन प्रस्तावित मानचित्रों में प्रत्येक फ्लोर पर लिफ्ट, स्टेयर केस व कारिडोर की छूट आच्छादित क्षेत्रफल में देय नहीं होगी।</p> <p>6. उपरोक्तानुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर पत्रावली पर आयुक्त महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र जारी किये जावे।</p>	
--	--	--	---	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



 सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति(बीपी)
 जविप्रा, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 71 वीं बैठक दिनांक 26-27.08.2008 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री अशोक जैन, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड़, विधायक	सदस्य
3. श्री आर. एन. मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4. श्री शंशाक महागांवकर, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5. श्री वी. के. जैन, अति. आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
6. श्री एच.एस. भारद्वाज, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
7. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :-


1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा जयपुर।
3. श्री अरुण गर्ग, नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (बीपी) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ललित भण्डारी, सहायक नगर नियोजक, जोन-3, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव (बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2008/डी-1126 दिनांक : 01/9/08

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड़, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि, जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


सदस्य सचिव (बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।